तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज ग्रीति(?) बनाम राज.(?) प्र.स. 1/21 धारा 136	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान इरादावाद(?) में पेश हुई। वकील प्रार्थी व रीडर(?) तहसीलदार उप./पेशकार सरकार ने अपने खाते में नाम दुरस्त करने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी व पेशकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू.अ. नीरीक्षक पापड़दा व तहसीलदार नांगलराजावतान की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान जमाबंदी संवत 2074-75 के खाता सं. 182 में प्रताप पुत्र सुन्दरा के स्थान पर प्रभातीलाल पुत्र सुन्दरलाल शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 136 स्वीकार किया जाता है एवं आदेश हाजा खाता सं. 182 [illegible] तथा विवादित भूमि [illegible] तहसील नांगलराजावतान में प्रताप पुत्र सुन्दरा के स्थान पर प्रभाती लाल पुत्र सुन्दरलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार नांगलराजावतान को दिए जाते हैं। उक्त इन्द्राज(?) रिकार्ड में दुरस्ती की जावे। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान इरादावाद(?) में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट नांगल राजावतान (दौसा)	